

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय, सहारनपुर की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की बैठक का कार्यवृत्त

जिलाधिकारी महोदय, सहारनपुर की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग-1 के शा०सं० 95/छिहत्तर-1-2020-20 स्वजल/2010 टी०सी०-अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं० 2211/38-5-2010-20स्वजल/2010 (टी०सी०-अ), दिनांक 29 नवम्बर 2019 को संशोधित करते हुए जनपद स्तर पर गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बैठक दिनांक 05.11.2022 को जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

- 1-मुख्य विकास अधिकारी सहारनपुर (सदस्य)
- 2-प्रभागीय निदेशक एवं वनीकी प्रभाग सहारनपुर अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य। (सदस्य)
- 3-मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहारनपुर। (सदस्य)
- 4-जिला कृषि अधिकारी, सहारनपुर। (सदस्य)
- 5-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर। (सदस्य)
- 6-जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, सहारनपुर। (सदस्य)
- 7-अधिशाली अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर सहारनपुर। (सदस्य)
- 8-अधिशाली अभियन्ता, वाटर रिसोर्सेज/सिंचाई सहारनपुर। (सदस्य)
- 9-सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, सहारनपुर। (सदस्य)

डी०पी०आर० विवरण:-

श्री अमित कुमार, अधिशाली अभियन्ता एवं सदस्य (सचिव), खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सहारनपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, लखनऊ के शासनादेश संख्या 51 /2021 / 1883 / छिहत्तर-1-2021-25 सम / 2019 दिनांक 06.08.2021 (पताका-2), शासनादेश संख्या 2729/2021/2650/छिहत्तर-1-2021 दिनांक 28.09.2021 (पताका-3) एवं शासनादेश संख्या 53/2021/2774/छिहत्तर-1-2021 दिनांक 05.10.2021 (पताका-4) द्वारा निर्गत गाइड लाइन्स एवं के अनुसार 25 नग योजनाओं की डी०पी०आर० तैयार कर नामित फर्म द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं, जो शासनादेश द्वारा जारी गाइड लाइन्स के अनुसार अर्ह पायी गयी है। डी०पी०आर० की कुल लागत में वर्क कॉस्ट, 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी, 12.50 प्रतिशत विभागीय सेन्टेज तथा 18 प्रतिशत जी०एस०टी० को सम्मिलित किया गया है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार 12.50 प्रतिशत सेन्टेज के व्यय का प्राविधान राज्यांश में किया गया है तथा इसके अतिरिक्त 10 वर्ष के Operation and Maintenance हेतु व्यय का भी प्राविधान किया गया है।

शासनादेश संख्या 51 /2021/1883/ छिहत्तर-1-2021-25सम/2019 दिनांक 06.08.2021 (पताका-2) नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, दिनांक 06.08.2021 के अनुसार रु० 5.00 करोड से कम लागत की योजनाओं की स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा एवं रु० 5.00 करोड से अधिक लागत की योजनाओं की स्वीकृति राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा प्रदान की जानी हैं।

डी0पी0आर0 विरचन की कार्यवाही पूर्व में निर्गत गाईड लाईन एवं SLSSC कार्यवृत्त में संशोधित गाईड लाईन के निम्नानुसार की गयी है।

1—Population Projection हेतु आधार वर्ष 2022, मध्य वर्ष 2037 और डिजाइन वर्ष 2052 रखा जाये। विभिन्न Population Projection method के आधार पर सर्वोत्तम एवं उचित जनसंख्या का चयन किया जाये, जिसमें वर्तमान में राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति के कार्यवृत्त के अनुसार जनसंख्यावृद्धि अधिकतम 60 प्रतिशत ली जाये।

2— मध्य वर्ष (2037) के आधार पर वाटर डिमान्ड की गणना करते हुए नलकूप और पम्पिंग प्लान्ट के डिजाइन किया जाये।

3—अवर जलाशय की क्षमता की गणना मध्य वर्ष (2037) पर Draw off/ Mass balancing के पैटर्न पर की जाये।

4—सामान्यतः सोलर आधारित योजनायें निर्मित की जाये, जिस हेतु पम्पिंग Hours 6.5 घंटा लिया जाये।

5—वितरण प्रणाली में न्यूनतम एच0डी0पी0ई0 पाइप का व्यास 63 एमएम एवं अधिकतम एच0डी0पी0ई0 पाइप का व्यास

200 एम0एम0 लिया जाये। 200 एम0एम0 व्यास से अधिक हेतु डी0आई0 पाइप का प्रयोग किया जाये।

6—वितरण प्रणाली की लागत 15 लाख प्रति कि0मी0 के आधार पर ली जाये।

7—वितरण प्रणाली के डिजाइन हेतु न्यूनतम टर्मिनल प्रेशर 7.0 मी0 रखा जाये।

8—वाटर डिमाण्ड की गणना (55 LPCD+15% unaccounted water) के आधार पर की जाये।

9—रोड कटिंग की पुर्नस्थापना की लागत 50 प्रतिशत अधिकतम ली जाये।

10—पम्पिंग हैड की अधिकतम सीमा 60 मी0 ली जाये।

11—योजनाओं में एकल ग्राम योजनाएँ (SVS) की प्रति FHTC लागत 35000, एकल ग्राम योजनाएँ (SVS) जिनमें

Multi Habitation है की प्रति FHTC लागत 55000, ग्राम समूह योजनाएँ (MVS) की प्रति FHTC लागत

65000 एवं घाड क्षेत्रों की योजनाओं में प्रति FHTC लागत 75000 ली जाये।

12— प्राक्कलन में प्रति व्यक्ति लागत रू0 7000.00 ली जाये।

13—टयूबवैल की अधिकतम लागत रू0 25.00 लाख ली जाये।

वर्तमान में प्राप्त 22 नग विस्तृत प्राक्कलन रू0 5.00 करोड़ से कम लागत के हैं, जिनका तकनीकी अनुमोदन मुख्य अभियन्ता (मेरठ क्षेत्र), उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ द्वारा प्रदान किया गया है। उक्त 22 नग विस्तृत प्राक्कलों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, सहारनपुर द्वारा प्रदान की जानी है, तदोपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु इन्हें राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित किया जाना है।

22 नग डी0पी0आर0 का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है एवं विस्तृत विवरण संलग्नक (पताका-5) के अनुसार है।

फर्म— मै0 एन0के0जी0 प्राइमस जे0वी0

05 करोड़ से कम लागत:—

S No.	Block	NAME OF SCHEME	Total No. of Rev. Vill.	FHTC	Work cost (Rs in Lakh)	Centage (Rs. In lakh)	Estimage cost (Rs in lakh) (e+f)	Per Capita Cost Design Year (In Rs.)
1	2	3	4	5		6	7	8
1	Rampur Maniharan	Ahmadpur Must.	1	862	295.77	31.33	327.1	5147.41

2	Deoband	Badhedi Majbata & Jhabiran	2	871	434.84	46.06	480.9	5876.22
3	Ballia Kheri	Bhalasa Issapur	1	1201	419.91	44.48	464.39	4726.06
4	Ballia Kheri	Bharpour	2	430	230.52	24.42	254.94	6953.85
5	Punwarka	Khurd	3	604	253.18	26.82	280	4553.60
6	Sarsawan	Narhmalpur	1	848	295.79	31.33	327.12	5153.14
7	Ballia Kheri	Pundain	1	661	228.07	24.16	252.23	6270.83
8	Nagal	Sarsina	1	718	237.43	25.15	262.58	4951.62
9	Nagal	Tanshipur	1	962	336.15	35.61	371.76	4530.93
10	Nagal	Tayabpur Badha	1	863	301.38	31.93	333.31	5887.48
11	Nagal	Ismailpur Gujjar & Kaurva	3	627	336.58	35.66	372.24	5732.92
12	Ballia Kheri	Mubarakpur	1	490	171.22	18.14	189.36	5240.89
13	Deoband	Belda Bujurg	1	368	127.95	13.55	141.5	6043.93
14	Deoband	Isharpur	2	405	141.59	15	156.59	5517.93
15	Deoband	Kharanja Ahmadpur & Megh Rajpur	2	498	190.03	20.13	210.16	4938.41
16	Nagal	Mirpur Mohanpur	1	815	251.61	26.65	278.26	3016.18
17	Deoband	Talheri Khurd	2	460	225.78	23.92	249.7	6128.66
18	Ballia Kheri	Kapoorpur	2	313	156.23	16.55	172.78	6561.53
19	Nagal	Dagrauli	1	403	140.55	14.89	155.44	5182.52
20	Deoband	Kuralki	1	603	210.95	22.35	233.3	5605.90
21	Deoband	Zahirpur	1	537	187.66	19.88	207.54	4638.16
22	Deoband	Sanpla Khatri	1	1041	320.74	33.98	354.72	4145.53
	TOTAL		32	14580	5493.93	581.99	6075.92	116803.69

शासनादेश संख्या 16/ 2021/ 948/ छिहत्तर-1-2021-25 सम/2019 दिनांक 19.03.2021 (पताका-6) के अनुसार 05 करोड़ से अधिक लागत की डी0पी0आर0 की वैटिंग आई0आई0टी0/एन0आई0ई0टी0/राजकीय विश्वविद्यालय से कराने के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी। उक्त के क्रम में 05 करोड़ से अधिक लागत की 03 नग डी0पी0आर0 की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (मेरठ क्षेत्र), उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ द्वारा प्रदान किये जाने के उपरान्त विस्तृत प्राक्कलनों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु संस्तुति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, सहारनपुर द्वारा प्रदान की जानी है।

तदोपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु इन्हें राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित किया जाना है। 03 नग डी0पी0आर0 का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है एवं विस्तृत विवरण संलग्नक (पताका-5) के अनुसार है।

फर्म- मै0 एन0के0जी0 प्राइमस जे0वी0

05 करोड़ से अधिक लागत:-

S No.	Block	NAME OF SCHEME	Total No. of Rev. Vill.	FHTC	Work cost (Rs in Lakh)	Centage (Rs. In lakh)	Estimage cost (Rs in lakh) (e+f)	Per Capita Cost Design Year (In Rs.)
1	2	3	4	5		6	7	8
1	Nagal	Nasirpur Digauli & Badheri Kauli	3	1439	489.46	51.85	541.31	4683.83
2	Nakur	Sahaba Mazra & Hasanpur	6	851	503.95	53.39	557.34	6993.48
3	Gangoh	Rangel & Alampur	2	795	497.535	52.705	550.24	6759.99
	TOTAL		11	3085	1490.945	157.945	1648.89	18437.29

जल जीवन मिशन फेज-2 के अन्तर्गत फर्म द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 एवं डी0पी0आर0 में सम्मिलित ग्राम का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र0सं0	जनपद का नाम	जल जीवन मिशन	डी0पी0आर0 की संख्या	डी0पी0आर0 में सम्मिलित ग्रामों की संख्या
1	सहारनपुर	फेज-3	25	43
	कुल		25	43

उक्त 25 नग डी0पी0आर0 जिनकी ट्यूबवैल लागत रू0 25.00 लाख से कम है, को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को अग्रसारित करने हेतु सहमति दी जानी है।

जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा 25 नग योजनाओं की डीपीआर की स्वीकृति हेतु सहमति प्रदान करते हुए राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को प्रेषित करने का निर्णय भी लिया गया।

अन्त में सभी का आभार व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा बैठक का समापन किया गया।

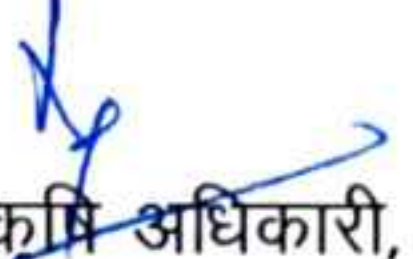
जिला विकास अधिकारी,
सहारनपुर
(सदस्य)


प्रभागीय निदेशक,
समाजिक वनीकी प्रभाग सहारनपुर
या नामित सदस्य
(सदस्य)


जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
सहारनपुर
(सदस्य)


जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी,
सहारनपुर
(सदस्य)


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सहारनपुर
(सदस्य)


जिला कृषि अधिकारी,
सहारनपुर
(सदस्य)


सहायक अभियन्ता
लघु सिंचाई विभाग,
सहारनपुर
(सदस्य)


अधिकांशी अभियन्ता
ग्राउण्ड वाटर/नामित सदस्य
सहारनपुर
(सदस्य)


(अमित कुमार)
अधिकांशी अभियन्ता / (सदस्य सचिव)
खण्ड कार्यालय,
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
मुजफ्फरनगर/सहारनपुर


(विजय कुमार)
मुख्य विकास अधिकारी
सहारनपुर
(सदस्य)


(अखिलेश सिंह)
जिलाधिकारी / (अध्यक्ष)
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन"
समिति, सहारनपुर